संख्या–एम0–182 / 9–आ–3– 97–38विविध / 97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2000

विषय :व्यवसायिक भवन मानचित्रों के निर्माण अनुज्ञा पत्र की वैधता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1655 / 9.आ–3.97.38 विविध / 97 दिनांक 5 मई, 1997 तथा शासनादेश संख्या–1924 / 9.आ.3.97.38 विविध / 97 दिनांक 3 जून, 97 का संदर्भ लें जिनके द्वारा क्रमशः एकल आवासीय भवन मानचित्रों तथा ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्रों की स्वीकृति अवधि की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है और तत्पश्चात एक–एक वर्ष के लिए अधिकतम तीन बार नवीनीकरण की अनुमति अनुमन्य की गई है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एकरूपता की दृष्टि से उक्त व्यवस्था व्यवसायिक व अन्य सभी प्रकार के भवन मानचित्रों के लिए समान रूप से लागू की जाये।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश में की गई व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से व्यवसायिक एवं अन्य उपयोगों के भवन मानचित्रों के लिए भी लागू की जाती है। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन व्यवसायिक एवं अन्य भवन मानचित्रों की तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है किन्तु पाँच वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, वे मानचित्र पाँच वर्ष पूर्ण होने तक स्वतः वैध होंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

पत्र संख्या–एम0–182 / 9–आ–3–97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. नियंत्रक प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 आवास बन्धु।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव।